सामान्य सूची पत्र

(Common Prospectus)

इण्टरमीडिएट कक्षा में विद्यार्थियों के ऑनलाईन नामांकन की सरल व्यवस्था

सत्र – 2019–2021

Online Facilitation System for Students

अनुक्रम

1. **OFSS (Online Facilitation System for Students)** 4

    1.1 **OFSS** क्या है ? **4**

    1.2 ऑनलाईन नामांकन के लिये आवेदन कौन कर सकता है ? **4**

2. विद्यार्थी **OFSS (Online Facilitation System for Students)** के तहत कहाँ से आवेदन कर सकते हैं ? **4**

3. **OFSS (Online Facilitation System for Students)** का उपयोग करके ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है ? **5-11**

4. **OFSS (Online Facilitation System for Students)** पद्धति के तहत नामांकन के लिये चयन सूची किस प्रकार जारी की जायेगी ? **11**

    4.1 चयन की प्रक्रिया क्या होगी ? 11

    4.2 नामांकन के लिये चुने जाने पर आवेदक को सूचना देने की प्रक्रिया। 12

5. चयन सूची में आवेदक का नाम आने के बाद नामांकन कैसे कराये ? 12

6. उच्च प्राथमिकता वाले विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन कैसे कराये **?** (स्लाइड अप विकल्प) 13

7. **OFSS** के माध्यम से ऑनलाईन सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) को ऑनलाईन भरने की प्रक्रिया के 9 चरण 13–20

8. आरक्षण एवं कोटा 20

9. महत्वपूर्ण टिप्पणी 20

10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (**Frequently Ask Questions**) 21–25

OFSS (Online Facilitaiton System for Students)

राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी/गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय/इण्टर महाविद्यालय/गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय/अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में OFSS के माध्यम से सत्र 2019–21 के लिये 11वीं कक्षा में केन्द्रीय/राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के ऑनलाईन नामांकन की सुविधा दी जा रही है। विद्यार्थियों द्वारा अब 27 अप्रैल 2019 से 11 मई 2019 तक ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन दिये जाने की प्रक्रिया से विद्यार्थियों को अवगत कराया जा रहा है, ताकि ऑनलाईन आवेदन देने के क्रम में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

पूर्व में माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को नामांकन के लिये इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अलग–अलग Prospectus एवं आवेदन प्रपत्र का क्रय कर अलग–अलग संस्थानों के लिए अलग–अलग आवेदन जमा करना पड़ता था, जिसके कारण विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। साथ ही नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने के कारण गरीब एवं मेधावी विद्यार्थियों को उनकी इच्छानुसार अच्छे शिक्षण संस्थानों में नामांकन होने में कठिनाई होती थी। इतना ही नहीं, किसी अन्य शहर में नामांकन के लिये उन्हें यात्रा भी करनी पड़ती थी और उस शहर में रहने के लिये अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता था। विद्यार्थियों को इस बात की भी सूचना नहीं मिलती थी कि विद्यालय अथवा महाविद्यालय में नामांकन के लिये कितनी सीटें हैं और न ही विद्यालय अथवा महाविद्यालय के Infrastructure की जानकारी उन्हें मिलती थी। साथ ही विद्यालयों/महाविद्यालयों को भी फार्म छापने, भरने से लेकर आवेदनों की प्रोसेसिंग करने इत्यादि में काफी समय एवं मैन पावर की आवश्यकता होती थी। उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था के लागू होने से विद्यार्थियों को नामांकन कराने के लिये किसी संस्थान में व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना होगा और न ही उन्हें हर संस्थान के लिये अलग से फॉर्म एवं पैसा जमा करना होगा। इस व्यवस्था के पूर्व नामांकन की प्रक्रिया में भी काफी समय लगता था क्योंकि प्रत्येक संस्थान द्वारा मैनुअल रूप से आवेदन की प्रोसेसिंग की जाती थी।

नामांकन की इस ऑनलाईन व्यवस्था के तहत इण्टरमीडिएट कक्षा में नामांकन कराने वाले किसी केन्द्रीय बोर्ड/राज्य बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी अपने निकट के किसी वसुधा केन्द्र अथवा इंटरनेट कैफे अथवा अपने मोबाईल पर इससे संबंधित मोबाईल एप्प डाउनलोड कर अथवा घर पर बैठे इंटरनेट से जुड़े कम्प्यूटर/लैपटॉप के माध्यम से आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ऑनलाईन नामांकन के लिये इच्छुक विद्यार्थी आवेदन करते समय न्यूनतम 05 एवं अधिकतम 20 शिक्षण संस्थानों में चयन हेतु Option दे सकते हैं।

ऑनलाईन नामांकन हेतु आवेदन से पूर्व इण्टरमीडिएट स्तर के शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु उपलब्ध सीट की संख्या तथा नामांकन से संबंधित अन्य विवरणी समिति के वेबसाईट पर जारी की जायेगी।

ऑनलाईन नामांकन हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया 27 अप्रैल 2019 से प्रारम्भ की जायेगी। OFSS Software के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करने के लिये समिति की वेबसाईट पर http://biharboardonline.bihar.gov.in पर लिंक उपलब्ध रहेगा। आवेदन करने के लिये विद्यार्थियों को कुल रू0 300/– (तीन सौ) की राशि जमा करनी होगी, जिसमें रू0 100/– (एक सौ) आवेदन शुल्क एवं रू0 200/– (दो सौ) विद्यालय/महाविद्यालय शुल्क निहित है। विदित हो कि विद्यार्थी शुल्क का भुगतान विभिन्न माध्यम यथा– एस०बी०आई० में नगद राशि (ई–चालान के माध्यम से) अथवा किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग अथवा डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

विद्यार्थियों को ऑनलाईन आवेदन करते समय अपना मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल आईडी अनिवार्य रूप से देना होगा। विद्यार्थी अपना आधार नम्बर यदि हो तो उसे भी दर्ज करेंगे, हालॉकि अभी यह अनिवार्य नहीं है।

ऑनलाईन आवेदन करने के बाद विद्यार्थियों द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर OTP (One Time Password) भेजा जायेगा। साथ ही, विद्यार्थियों को आवेदन करने के बाद मोबाईल तथा ई–मेल के माध्यम से हर Step की सूचना दी जायेगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। अपने मोबाईल एप्प के माध्यम से भी विद्यार्थी आवेदन करने के बाद के सभी चरण (Step) से अवगत हो सकेंगे।

ऑनलाईन आवेदन के उपरांत विद्यार्थियों द्वारा दिये गये विकल्प एवं उनके मेरिट के आधार पर समिति संस्थानवार एवं कोटिवार प्रथम Combined Merit List जारी करेगी, जिसके आधार पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। विद्यार्थी को किस संस्थान में कब और किस तिथि को नामांकन के लिये जाना है, इसकी भी जानकारी मोबाईल तथा ई–मेल के माध्यम से दी जायेगी। यदि इसके बाद भी संस्थानों में स्थान रिक्त रहता है तो समिति द्वारा दूसरी Combined Merit List जारी की जायेगी, जिसके आधार पर संस्थान शेष बचे सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके बाद भी यदि किसी संस्थान में सीट अर्थात स्थान खाली रह जाता है, तो समिति द्वारा तीसरा व अंतिम Combined Merit List जारी किया जायेगा ताकि संस्थान शेष सीटों पर अपने यहाँ नामांकन की प्रक्रिया कर सकें। इसके बावजूद भी यदि किसी संस्थान में सीट खाली रह जाता है, तो ऐसे संस्थान स्वयं विद्यार्थियों का नामांकन वहाँ कर सकते हैं, परन्तु उसके लिये उन्हें संबंधित विद्यार्थियों का इस OFSS पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन अनिवार्य रूप से करना होगा।

उल्लेखनीय है कि ऑनलाईन नामांकन हेतु आवेदन करते समय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना की मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मात्र अपना रौल कोड एवं रौल नम्बर, जन्म तिथि एवं जिस वर्ष उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की है केवल वही भरना होगा, क्योंकि उनका डाटा पहले से ही समिति द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के डाटाबेस में उपलब्ध रहेगा। अन्य बोर्ड द्वारा अयोजित मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ऑनलाईन नामांकन हेतु आवेदन करते समय पूरी विवरणी भरनी होगी।

OFSS के अंतर्गत ऑनलाईन नामांकन की इस नई व्यवस्था की निगरानी के लिये पटना स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मुख्यालय में हेल्प–डेस्क बनाया गया है। हेल्पडेस्क का सम्पर्क दूरभाष नम्बर 0612–2230009 है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अकादमिक भवन में Project Management Unit (PMU) की स्थापना की गयी है जिसमें Project Manager, Functional Consultant, Database Administrator रहेंगे एवं वे पूरे कार्यक्रम की राज्य स्तर पर Monitoring करेंगे। इसके अतिरिक्त, पूरे राज्य के सभी जिलों में कुल 49 District PMU Executive की प्रतिनियुक्ति की गयी है। बड़े जिलों में 02, तथा छोटे जिलों में 01 District PMU Executive को प्रतिनियुक्त किया गया है, जो उस जिले के संबंधित संस्थान से समन्वय स्थापित करते हुये उन्हें OFSS के अंतर्गत ऑनलाईन नामांकन की प्रक्रिया में मदद करेंगे। ये सारे PMU Executive विभिन्न जिलों में उस जिलें के सम्बन्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में इस पूरी नामांकन अवधि में उपलब्ध रहेंगे जिनकी जिलावार स्थान सहित विस्तृत सूची वेबसाइट www.ofssbihar.in पर उपलब्ध है।

ऑनलाईन नामांकन के लिये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा एक मोबाइल एप्प भी तैयार किया गया है, जो कि Google Play Store पर OFSS नाम से उपलब्ध है। इस एप्प का इस्तेमाल केवल Android Smart Phone पर ही किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से आवेदक अपने दिये गये आवेदन से सम्बन्धित सूचनाओं एवं जानकारियों को प्राप्त कर सकते है। इस एप्प का इस्तेमाल आवेदन

भरने के लिये नहीं किया जा सकता है। इसके द्वारा आवेदक सम्बन्धित संस्थानों में उपलब्ध सीट की संख्या, नामांकन हेतु आंवटित संस्थान तथा विवरणी के सम्बन्ध में सूचना/अपडेट भी प्राप्त कर सकेंगे।

इस नई व्यवस्था से राज्य के सभी उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी/गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय/इण्टर महाविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन सुविधाजनक ढंग से हो सकेगा। बिहार बिद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा OFSS (Online Facilitation System for Students) के अंतर्गत ऑनलाईन नामांकन की इस नई व्यवस्था से नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी एवं गरीब एवं मेधावी विद्यार्थियों को उनकी मेधानुसार अच्छे शिक्षण संस्थानों में नामांकन होने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

ह०/–
(आनंद किशोर)
अध्यक्ष
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

1. **OFSS (Online Facilitaiton System for Students)**

इण्टरमीडिएट कक्षा में विद्यार्थियों के ऑनलाईन नामांकन की सरल व्यवस्था :

1.1 **OFSS क्या है ?**

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अन्तर्गत आने वाले इण्टरमीडिएट विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ऑनलाईन व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों का नामांकन किया जाना है। इस ऑनलाईन व्यवस्था को OFSS (Online Facilitaiton System for Students) अर्थात ऑनलाईन नामांकन की सरल व्यवस्था का विकास बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा किया गया है। इस व्यवस्था से विद्यार्थी सम्बन्धित विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन करा सकेंगे।

सत्र 2019–2021 के लिये इण्टरमीडिएट कक्षा में नामांकन के लिए विद्यार्थी OFSS (Online Facilitaiton System for Students) का उपयोग करेंगे। कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में इण्टरमीडिएट के विषयों में उसी इण्टरमीडिएट विद्यालय अथवा महाविद्यालय में नामांकन होगा जहाँ इसकी सुविधा उपलब्ध हो।

1.2 ऑनलाईन नामांकन के लिए आवेदन कौन कर सकता है?

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी0बी0एस0ई0), इंडियन सर्टिफिकेट ऑर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई0सी0एस0ई0) और किसी भी अन्य राज्य के बोर्ड के विद्यार्थी नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने इन संस्थानों से 10वीं अथवा समकक्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है।

1.3 ध्यान देने योग्य बातें।

एक मोबाइल नम्बर एवं एक ईमेल आई0डी0 का इस्तेमाल मात्र एक आवेदन भरने के लिए ही किया जाएगा।

1.4 सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन प्रपत्र भरने के पूर्व पिछले वर्ष OFSS के माध्यम से राज्य के विभिन्न इण्टर कॉलेज में लिये गये नामांकन (Admission) हेतु जारी की गयी सूची का Cut off Marks, OFSS पोर्टल (www.ofssbihar.in) पर पहले अवश्य देख लें। फिर यह तय करें कि वे अपना नामांकन किस विद्यालय/महाविद्यालय में प्राथमिकता के अनुसार लेना चाहते हैं।

1.5 सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन हेतु विभिन्न विद्यालयों का विकल्प सावधानी पूर्वक चुने, क्योंकि OFSS के माध्यम से फार्म भरते समय एक बार विकल्प चुनने के पश्चात् वही सारे विकल्प (Option) अंतिम विकल्प माने जायेंगे तथा नामांकन प्रक्रिया के दौरान उन्हें बदला नहीं जा सकेगा। प्रथम/द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद विद्यार्थी अपने नामांकन के पश्चात् वेब पोर्टल (www.ofssbihar.in) पर जाकर स्लाइड अप (Slide Up) का विकल्प चुन सकते हैं। अगर उनके द्वारा चुने गये विकल्प में से उच्चतर विकल्प के संस्थान में उनका चयन द्वितीय/तृतीय सूची में होता है तो प्रथम/द्वितीय चयन सूची का नामांकन स्वतः रद्द हो जायेगा।

2. विद्यार्थी **OFSS (Online Facilitaiton System for Students)** के तहत कहाँ से आवेदन कर सकते हैं?

निम्न स्थानों एवं माध्यम से ऑनलाईन नामांकन हेतु OFSS (Online Facilitaiton System for Students) के तहत आवेदन किया जा सकता है।

1. सहज वसुधा केन्द्र के माध्यम से
2. जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र (District Registration cum Counselling Centre) के माध्यम से
3. अपने घर के व्यक्तिगत कम्प्यूटर से जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो
4. इंटरनेट साइबर कैफे के माध्यम से

3. **OFSS (Online Facilitaiton System for Students) का उपयोग करके ऑनलाईन नामांकन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?**

ऑनलाईन नामांकन के लिए निम्नलिखित विभिन्न माध्यम के द्वारा विद्यार्थी आवेदन कर सकता है, इसकी विस्तृत प्रक्रिया निम्नवत् है :—

क. सहज वसुधा केन्द्र के द्वारा आवेदन भरने की प्रक्रिया :—

विद्यार्थी सहज वसुधा केन्द्र पर जाकर OFSS (Online Facilitaiton System for Students) व्यवस्था के तहत ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए राज्य के 3410 सहज वसुधा केन्द्र प्राधिकृत किये गये हैं, जिनकी सूची वेबसाइट www.ofssbihar.in पर उपलब्ध है। सहज वसुधा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन के लिए उन्हें निम्नलिखित चरणों से गुजरना होगा :—

सहज वसुधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन करने के विभिन्न चरण :—

अगर विद्यार्थी सहज वसुधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन करते हैं तो उन्हें सहज वसुधा केन्द्र पर जाना होगा। आवेदक अथवा सहज वसुधा केन्द्र के ऑपरेटर वेबसाइट www.ofssbihar.in पर जाकर आवश्यकतानुसार फार्म संख्या 5 अथवा फार्म संख्या 6 डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। उन्होंने जिस बोर्ड से परीक्षा उतीर्ण की है, जिस वर्ष परीक्षा उतीर्ण की है उसके अनुसार सहज वसुधा केन्द्र के ऑपरेटर से मुद्रित फार्म लेंगे :

फार्म संख्या	विवरण
फार्म संख्या 5	अगर विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से उत्तीर्ण की है।
फार्म संख्या 6	अगर विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा या समकक्ष परीक्षा सी0बी0एस0ई, आई0सी0एस0ई या किसी अन्य केन्द्र अथवा राज्य के बोर्ड से उत्तीर्ण की है।

i. फार्म संख्या 5 या फार्म संख्या 6 को कलम से भरें।
ii. विद्यार्थी सभी विस्तृत जानकारी फार्म में भरने के बाद फार्म के नीचे हस्ताक्षर करें।
iii. विद्यार्थी सभी जानकारी अंग्रेजी के **CAPITAL** अक्षर में भरें।
iv. फार्म भरने के पश्चात विद्यार्थी फार्म के अनुलग्नक में नामांकन के विकल्प भरेंगे।
v. फार्म पूरी तरह भरे जाने के पश्चात आवेदक को सहज वसुधा केन्द्र के ऑपरेटर को अपने फार्म के साथ एक रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो भी देना होगा।
vi. सहज वसुधा केन्द्र के ऑपरेटर उस फार्म में भरी जानकारी को ऑनलाईन आवेदन फार्म में भर देंगे।
vii. ऑनलाईन आवेदन भरने के बाद सहज वसुधा केन्द्र ऑपरेटर आवेदन का Preview कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवेदक को दिखा देंगे।
viii. सहज वसुधा केन्द्र के ऑपरेटर ने आवेदन में जिस विवरणी को भरा है उस भरे हुये आवेदन की दोबारा जाँच आवेदक निश्चित रूप से कर लेंगे। अगर भरे हुये सभी विवरण सही हैं तो सहज वसुधा केन्द्र के ऑपरेटर **CONFIRM** बटन क्लिक करेंगे। अगर भरी हुयी सूचना सही नहीं है तो सहज वसुधा केन्द्र के ऑपरेटर **MODIFY** बटन को क्लिक करेंगे।
ix. जब ऑपरेटर **MODIFY** बटन को क्लिक करेंगे तो आवेदन फार्म फिर से खुल जायेगा और ऑपरेटर गलतियों को सुधार सकेंगे।

x. जब ऑपरेटर **CONFIRM** बटन को क्लिक करेंगे तो **SYSTEM** से विद्यार्थी के निबंधित मोबाइल नम्बर पर एक **OTP (One Time Password)** जायेगा।

xi. विद्यार्थी ऑपरेटर को **OTP (One Time Password)** बतायेंगे और पोर्टल में **OTP (One Time Password)** भरेंगे और तब विद्यार्थी का मोबाइल नम्बर **CONFIRM** हो जायेगा।

xii. मोबाइल नम्बर के **CONFIRM** होने के बाद विद्यार्थी को आवेदन शुल्क रू0 300/– नगद सहज वसुधा केन्द्र को देना होगा।

xiii. सफलतापूर्वक भुगतान होने के पश्चात **SYSTEM** से आवेदन की स्वीकृत प्रति उपलब्ध हो जायेगी। सहज वसुधा केन्द्र के ऑपरेटर उसकी छायाप्रति निकालकर विद्यार्थी को दे देंगे। विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि वो इस प्राप्ति रसीद को सुरक्षित रखेंगे।

xiv. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के पश्चात विद्यार्थी को **User ID** और **Password** उनके द्वारा दर्ज करायी गयी मोबाइल और ई–मेल पर भेजा जायेगा।

xv. कृपया ध्यान दे : आवेदन शुल्क रू0 300/– जमा किये बिना आवेदन स्वीकृत नहीं माना जायेगा। यह अनिवार्य है कि आवेदन के साथ आवेदन शुल्क भी जमा किया जाय।

ख. **जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र (District Registration cum Counselling Centre) जिसे संक्षेप में DRCC कहा जाता है, के द्वारा आवेदन भरने की प्रक्रिया–**

विद्यार्थी जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र पर जाकर OFSS (Online Facilitaiton System for Students) व्यवस्था के तहत ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन के लिए उन्हें निम्नलिखित चरणों का अनुपालन करना होगा :–

जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र (District Registration cum Counselling Centre) के माध्यम से आवेदन करने के विभिन्न चरण

अगर विद्यार्थी जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र के माध्यम से आवेदन करते हैं तो उन्हें जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र पर जाना होगा। आवेदक अथवा जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र के ऑपरेटर वेबसाइट www.ofssbihar.in पर जाकर आवश्यकतानुसार फार्म संख्या 7 अथवा फार्म संख्या 8 डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। उन्होंने जिस बोर्ड से परीक्षा उतीर्ण की है, जिस वर्ष परीक्षा उतीर्ण की है उसके अनुसार जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र (District Registration cum Counselling Centre) के ऑपरेटर से मुद्रित फार्म लेंगे :

फॉर्म संख्या	विवरण
फॉर्म संख्या 7	अगर विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से उत्तीर्ण की है।
फॉर्म संख्या 8	अगर विद्यार्थी 10वीं या समकक्ष परीक्षा सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 या किसी अन्य केन्द्र अथवा राज्य के बोर्ड से उत्तीर्ण की है।

i. फॉर्म संख्या 7 या फॉर्म संख्या 8 को कलम से भरें।

ii. विद्यार्थी सभी विस्तृत जानकारी फॉर्म में भरने के बाद फॉर्म के नीचे हस्ताक्षर करें।

iii. विद्यार्थी सभी जानकारी अंग्रेजी के **CAPITAL** अक्षर में भरें।

iv. फॉर्म भरने के पश्चात विद्यार्थी फॉर्म के अनुलग्नक में संस्थानों का विकल्प भरेंगे।

v. फॉर्म पूरी तरह भरने के बाद आवेदक फॉर्म को जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र के ऑपरेटर को अपने एक रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ दे देंगे।

vi. जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र (District Registration cum Counselling Centre) के ऑपरेटर उस फार्म में भरी जानकारी को ऑनलाइन आवेदन फार्म में भर देंगे।

vii. ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र (District Registration cum Counselling Centre) के ऑपरेटर आवेदन का Preview कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवेदक को दिखा देंगे।

viii. विद्यार्थी पूरी जानकारी को भली–भाँति जाँच लेंगे कि सभी जानकारी सही भरी गयी है।

ix. मोबाइल नम्बर दर्ज होने के बाद विद्यार्थी को ई–चालान की एक प्रति मिलेगी।

x. विद्यार्थी अपने पास के इलाहाबाद बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में जाकर आवेदन शुल्क ई–चलान के माध्यम से जमा करेंगे। ई–चालान के माध्यम से स्टेट बैंक में आवेदन शुल्क जमा करने के लिए रू0 60/– अतिरिक्त स्टेट बैंक में भुगतान करना होगा, जो बैंक का सेवा शुल्क होगा। इलाहाबाद बैंक के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने हेतु रू0 24/– अतिरिक्त इलाहाबाद बैंक में भुगतान करना होगा, जो बैंक का सेवा शुल्क होगा। बैंक में आवेदन शुल्क जमा करने के 48 घंटे से 72 घंटे के बाद भुगतान की सूचना बोर्ड के पोर्टल पर अपडेट हो जायेगी।

xi. भुगतान की सूचना अपडेट होने के बाद विद्यार्थी को **User ID** और **Password** उनके द्वारा दर्ज करायी गयी मोबाइल और ई–मेल पर प्राप्त होगी।

xii. कृपया ध्यान दें : आवेदन शुल्क रू0 300/– जमा किये बिना आवेदन स्वीकृत नहीं माना जायेगा। यह अनिवार्य है कि आवेदन के साथ आवेदन शुल्क भी जमा किया जाय।

ग. **अपने घर से अथवा किसी अन्य स्थान के कम्प्यूटर के माध्यम से जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, आवेदन भरने की प्रक्रिया–**

अपने घर से कम्प्यूटर के माध्यम से जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, से OFSS (Online Facilitaiton System for Students) व्यवस्था के तहत ऑनलाइन आवेदन भरने का विभिन्न चरण हैं।

आवेदन भरने के पहले निम्नलिखित जानकारी अपने पास रखें

- यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से उतीर्ण की है तो अपना रौल कोड, रौल नं0 तथा जन्म तिथि तैयार रखें।
- यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के समकक्ष किसी अन्य बोर्ड से उतीर्ण की है तो अपना प्राप्तांक तैयार रखें।
- विद्यार्थी अपना पासपोर्ट साइज फोटो का स्कैन कॉपी कम्प्यूटर में तैयार रखें ताकि सामान्य आवेदन प्रपत्र भरते समय जब जरूरत हो तो अपलोड किया जा सके।
- मोबाइल नम्बर
- ई–मेल

i. आवेदक किसी भी ब्राउजर के माध्यम से www.ofssbihar.in पर जायें।

ii. सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) पर क्लिक करें।

iii. दिये गये दिशा–निर्देश को ध्यान पूर्वक पढ़ें।

iv. Check Box और उसके उपरांत I Acceptपर क्लिक करने के बाद नियम एवं शर्तों को स्वीकार करें।

v. इसके बाद सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) आपके कम्प्यूटर पर खुल जायेगा।

vi. यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से उत्तीर्ण की है तो उसे उत्तीर्ण होने का वर्ष, रौल कोड, रौल नम्बर और जन्म तिथि भरनी होगी। उसकी अन्य जानकारियाँ और प्राप्तांक आपने आप आवेदन प्रपत्र में अंकित हो जायेंगे।

vii. अगर आवेदक किसी अन्य बोर्ड से 10वीं या समकक्ष परीक्षा उतीर्ण की है तो यह आवश्यक है कि सामान्य आवेदन प्रपत्र में जो जानकारी मांगी गयी है उसे वे भरें।

viii. सभी जानकारियों को एक बार भर लेने के बाद आवेदक को अपना फोटो सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) में अपलोड करना है। फोटो अपलोड करना आवश्यक है।

ix. सभी जानकारी को भर लेने के बाद आवेदक को नामांकन के लिये विकल्प चुनना है। आवेदक न्यूनतम 05 विकल्प और अधिकतम 20 विकल्प चुन सकता है। 1 विद्यालय अथवा 1 महाविद्यालय में 1 विषय 1 विकल्प माना जायेगा।

x. नामांकन के विकल्प भरने के लिए विद्यार्थी निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायें :

- Drop Down लिस्ट से जिला को चुनें।
- जिला चुनने के बाद विद्यालय/महाविद्यालय को चुनें।
- विद्यालय/महाविद्यालय चुनने के बाद संकाय को चुनें। जैसे– कला, विज्ञान एवं वाणिज्य।
- Submit बटन पर क्लिक करें।
- Submit बटन पर क्लिक करने के बाद आपका विकल्प दर्ज हो जायेगा।
- इस प्रकार से आप सामान्य आवेदन प्रपत्र में कम से कम 05 विकल्प एवं ज्यादा से ज्यादा 20 विकल्प चुन सकते हैं।

xi. उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प पहले भरें। मान लिया जाय कि इण्टरमीडिएट में नामांकन के लिए आपकी पहली प्राथमिकता विज्ञान संकाय में ए0एन0 कॉलेज में है, और दूसरी प्राथमिकता या विकल्प विज्ञान संकाय में कॉलेज ऑफ कामर्स में है; तो आप ए0एन0 कॉलेज में पहली प्राथमिकता का विकल्प भरें और उसके उपरांत कॉलेज ऑफ कामर्स का विकल्प भरें। तत्पश्चात् तीसरी, चौथी, पाँचवी इत्यादि का विकल्प अपनी प्राथमिकता के अनुसार भरें।

xii. एक बार जब आपने सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भर दिया हो तो कृपया एक बार फिर उसे ध्यान पूर्वक पढ़ लें ताकि अगर कोई गलती आप से हुई है तो उसका पता आपको चल जाये। आवदेन में दिया गया पूरा विवरण अगर आपको सही लगता है तो Submit बटन को क्लिक करें।

xiii. इसके उपरान्त कम्प्यूटर स्क्रीन पर भरे हुये आवेदन का Preview दिखायी देगा।

xiv. कृपया इसके उपरान्त भरे हुए आवेदन की आप दोबारा जाँच कर लें। अगर आवेदन प्रपत्र में सभी जानकारियाँ आप सही पाते हैं तो Confirm बटन को क्लिक करें। अगर भरी हुई जानकारियों को आप सही नहीं पाते हैं तो आप Modify बटन को क्लिक करें।

xv. Modify बटन को क्लिक करने पर सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) आपको पुनः दिखाई देगा। इसे देखकर आप उसमें भरी हुई उन जानकारी को शुद्ध कर सकते हैं जिसे आप सुधारना चाहते हैं। इसके बाद आप Confirm बटन को क्लिक करें।

xvi. Confirm बटन को क्लिक करने के बाद आपके निबन्धित मोबाइल नम्बर पर यह व्यवस्था या पद्धति आपको एक OTP (One Time Password) भेजेगी।

xvii. System में OTP को डालें और इसके उपरांत आपका मोबाइल नम्बर सुनिश्चित हो जायेगा।

xviii. एक बार मोबाइल नम्बर सुनिश्चित हो जाने के बाद आपको रू0 300/– का भुगतान करने का निदेश मिलेगा। यह रू0 300/– का भुगतान आवेदन शुल्क होगा। यह भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम (Debit Card, Credit Card एवं Net Banking) आदि से

भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप यह भुगतान ई–चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। ई–चालान के माध्यम से अगर आप भुगतान करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक होगा कि चालान की मुद्रित प्रति लेकर आप इसे अपने नजदीकी निर्धारित इलाहाबाद बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में जमा करें।

xix. सफलतापूर्वक भुगतान सुनिश्चित हो जाने के बाद यह व्यवस्था आपके द्वारा भरे गये आवेदन से संबंधित एक प्राप्ति प्रति (Acknowledgment Copy) जारी करेगी। आपको सलाह दी जाती है कि यह मुद्रित प्राप्ति प्रति (Acknowledgment Copy) आप निकाल कर रख लें ताकि भविष्य में यह आपके काम आ सके।

xx. सफलतापूर्वक आवेदन प्रपत्र भरे जाने के पश्चात आपको आपके निबंधित मोबाइल एवं ई–मेल पर यूजर आई0 डी0 और पासवर्ड मिलेगा।

xxi. कृपया ध्यान दें : रू0 300/– के आवेदन शुल्क जमा नहीं होने पर आपका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत समझा जायेगा। अतः यह आवश्यक है कि आवेदन शुल्क निश्चित रूप से जमा किया जाय ताकि आपका आवेदन स्वीकृत समझा जा सके।

घ. **इंटरनेट साइबर कैफे के माध्यम से भी आवेदन भरा जा सकता है–**

किसी भी साइबर कैफे में जाकर भी आप स्वयं ऑनलाईन आवेदन OFSS (Online Facilitaiton System for Students) व्यवस्था के तहत कर सकते हैं। यदि आवेदक साइबर कैफे के ऑपरेटर द्वारा ऑनलाईन फार्म भरवाना चाह रहें हैं तो फार्म 7 या फार्म 8 डाउनलोड कर और उसे भरकर ऑपरेटर को दें, ताकि वे सारी जानकारी ऑनलाईन आवेदन फार्म में भर कर सारी प्रक्रिया पूरी कर सकें। यदि आवेदक स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरना चाहते हैं तो उन्हें नीचे लिखे क्रम के अनुसार ऑनलाईन आवेदन देना है।

साइबर कैफे के माध्यम से आवेदन करने के लिए नीचे लिखे विभिन्न चरणों से आवेदक को गुजरना है :

- कृपया आवेदन भरने के लिए नीचे लिखे सूचनाओं को पहले से ही तैयार रखें। अगर विद्यार्थी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से 10वीं की परीक्षा उतीर्ण की है तो वे अपना रौल कोड, रौल नम्बर और जन्म तिथि तैयार रखें।
- अगर विद्यार्थी ने बिहार बोर्ड के अलावा 10वीं अथवा उसके समकक्ष परीक्षा किसी अन्य बोर्ड से उतीर्ण हैं तो उन्हें अंक विवरणी को पहले से तैयार कर अपने पास रखना चाहिये। विद्यार्थी को यह भी सलाह दी जाती है कि वे स्कैन किया हुआ पासपोर्ट के आकार का रंगीन फोटोग्राफ भी कम्प्यूटर में तैयार रखें, ताकि सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Applicaition Form) में आवश्यकता पड़ने पर वे उस रंगीन फोटो को अपलोड कर सकें।
- मोबाइल नम्बर
- ई–मेल

i. आवेदक किसी भी वेब ब्राउजर पर www.ofssbihar.in को इंटरनेट के माध्यम से खोलेगें।

ii. सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Applicaition Form) पर क्लिक करेंगे।

iii. इस पेज पर दिखाये गये सभी अनुदेश को ध्यान पूर्वक पढ़ें।

iv. Check Box और उसके उपरांत I Accept क्लिक करने के बाद नियम एवं शर्तों को स्वीकार करें।

v. इसके बाद कम्प्यूटर स्क्रीन पर सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Applicaition Form) खुल जायेगा।

vi. अगर आवेदक ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें मात्र उत्तीर्ण करने का वर्ष, रौल कोड, रौल नम्बर एवं जन्म तिथि अंकित करना

है। ऐसा करने पर आवेदक को उनके सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Applicaition Form) में अन्य सभी विवरणी और अंक विवरणी इत्यादि कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिखायी देगा।

vii. अगर आवेदक ने किसी अन्य बोर्ड से 10वीं या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो यह आवश्यक है कि सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Applicaition Form) में जो जानकारी मांगी गयी है उसे वे भरें।

viii. सभी जानकारियों को एक बार भर लेने के बाद आवेदक को अपना फोटो सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Applicaition Form) में अपलोड करना है। फोटो को अपलोड करना आवश्यक है।

ix. सभी जानकारियों को भर लेने के बाद आवेदक को नामांकन के लिए विकल्प चुनना है। आवेदक न्यूनतम 05 विकल्प और अधिकतम 20 विकल्प चुन सकता है। 1 विद्यालय अथवा महाविद्यालय में 1 विषय 1 विकल्प माना जायेगा।

x. ऑनलाईन नामांकन के लिए विकल्प भरने के लिए नीचे दिये गये बिन्दु को ध्यान से पढ़ें–

- ड्रॉप डाउन लिस्ट से जिला को चुनें।
- जिला को चुनने के बाद विद्यालय / महाविद्यालय को चुनें।
- विद्यालय / महाविद्यालय को चुनने के बाद, संकाय को चुने जैसे– कला, विज्ञान एवं वाणिज्य।
- Submit बटन को क्लिक करें।
- Submit बटन पर क्लिक करते ही आपका विकल्प Submit हो जायेगा।
- इस तरह से आप सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) में कम से कम 05 विकल्प एवं ज्यादा से ज्यादा 20 विकल्प चुन सकते हैं।

xi. उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प पहले भरें। मान लिया जाय कि इण्टरमीडिएट में नामांकन के लिए आपकी पहली प्राथमिकता विज्ञान संकाय में ए0एन0 कॉलेज में है, और दूसरी प्राथमिकता या विकल्प विज्ञान संकाय में कॉलेज ऑफ कामर्स में है; तो आप ए0एन0 कॉलेज में पहली प्राथमिकता का विकल्प भरें और उसके उपरांत कॉलेज ऑफ कामर्स का विकल्प भरें। तत्पश्चात् तीसरी, चौथी, पाँचवी इत्यादि का विकल्प अपनी प्राथमिकता के अनुसार भरें।

xii. एक बार जब आपने सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भर दिया हो तो कृपया एक बार फिर उसे ध्यान पूर्वक पढ़ लें ताकि अगर कोई गलती आप से हुई है तो उसका पता आपको चल जाये। आवदेन में दिया गया पूरा विवरण अगर आपको सही लगता है तो Submit बटन को क्लिक करें।

xiii. इसके उपरान्त कम्प्यूटर स्क्रीन पर भरे हुये आवेदन का Preview दिखायी देगा।

xiv. कृपया इसके उपरान्त भरे हुए आवेदन की आप दोबारा जाँच कर लें। अगर आवेदन प्रपत्र में सभी जानकारियाँ आप सही पाते हैं तो Confirm बटन को क्लिक करें। अगर भरी गयी जानकारियाँ को आप सही नहीं पाते हैं तो आप Modify बटन को क्लिक करें।

xv. Modify बटन को क्लिक करने पर सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) आपको पुनः दिखाई देगा। इसे देखकर आप उसमें भरी हुई उन जानकारी को शुद्ध कर सकते हैं जिसे आप सुधारना चाहते हैं। इसके बाद आप Confirm बटन को क्लिक करें।

xvi. Confirm बटन को क्लिक करने के बाद आपके निबन्धित मोबाइल नम्बर पर यह व्यवस्था या पद्धति आपको एक OTP (One Time Password) भेजेगी।

xvii. System में OTP (One Time Password) को डालें और इसके उपरांत आपका मोबाइल नम्बर सुनिश्चित हो जायेगा।

xviii. एक बार मोबाइल नम्बर सुनिश्चित हो जाने के बाद आपको रू0 300/– का भुगतान करने का निदेश मिलेगा। यह रू0 300/– का भुगतान आवेदन शुल्क होगा। यह भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम (Debit Card, Credit Card एवं Net Banking) आदि से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप यह भुगतान ई–चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। ई–चालान के माध्यम से अगर आप भुगतान करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक होगा की चालान की मुद्रित प्रति लेकर आप इसे अपने नजदीकी निर्धारित इलाहाबाद बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में जमा करें। ई–चालान के माध्यम से स्टेट बैंक में आवेदन शुल्क जमा करने के लिए रू0 60/– अतिरिक्त स्टेट बैंक में भुगतान करना होगा, जो बैंक का सेवा शुल्क होगा। इलाहाबाद बैंक के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने हेतु रू0 24/– अतिरिक्त इलाहाबाद बैंक में भुगतान करना होगा, जो बैंक का सेवा शुल्क होगा। बैंक में आवेदन शुल्क जमा करने के 48 घंटे से 72 घंटे के बाद भुगतान की सूचना बोर्ड के पोर्टल पर अपडेट हो जायेगी।

xix. सफलतापूर्वक भुगतान सुनिश्चित हो जाने के बाद यह व्यवस्था आपके द्वारा भरे गये आवेदन से संबंधित एक प्राप्ति प्रति (Acknowledgment Copy) जारी करेगी। आपको सलाह दी जाती है कि यह मुद्रित प्राप्ति प्रति (Acknowledgment Copy) आप निकाल कर रख लें ताकि भविष्य में यह आपके काम आ सके।

xx. सफलतापूर्वक आवेदन प्रपत्र भरे जाने के पश्चात आपको आपके निबंधित मोबाइल एवं ई–मेल पर यूजर आई0 डी0 और पासवर्ड मिलेगा।

xxi. कृपया ध्यान दें : रू0 300/– के आवेदन शुल्क जमा नहीं होने पर आपका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत समझा जायेगा। अतः यह आवश्यक है कि आवेदन शुल्क निश्चित रूप से जमा किया जाय ताकि आपका आवेदन स्वीकृत किया जा सके।

4. OFSS (Online Facilitaiton System for Students) के पद्धति के तहत नामांकन के लिए चयन सूची किस प्रकार जारी की जायेगी?

ऑनलाईन आवेदन में आवेदक द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर OFSS (Online Facilitaiton System for Students) नामांकन सूची जारी करेगा।

4.1 चयन की प्रक्रिया क्या होगी?

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन देने के बाद OFSS (Online Facilitaiton System for Students) सॉफ्टवेयर सभी आवेदनों को प्रक्रिया में लाकर चयन सूची को अंतिम रूप देगा। यह चयन सूची सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए आवेदक के मेरिट एवं उनके द्वारा चयनित विकल्प के प्राथमिकता के आधार पर होगा। चयन सूची (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) प्रकाशित की जायेगी। वेबसाइट पर चयन सूची उपलब्ध रहेगी और साथ ही साथ चुने गये आवेदक को उनके चुने जाने से सम्बन्धित पत्र (Intimation Letter) उपलब्ध रहेगा। मोबाइल पर जब आवेदक को अपने नामांकन के लिये चुने जाने से सम्बन्धित सूचना मिल जाय तो वेबसाइट पर जाकर वह अपने चुने जाने से सम्बधित पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट ले सकता है और सम्बन्धित विद्यालय/महाविद्यालय में अपना नामांकन करवा सकता है। मान लिया जाय कि आवेदक ने 11 विद्यालयों/महाविद्यालयों में नामांकन के लिए विकल्प दिया है और आवेदक के द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर उसे चुन लिया जाता है तो उसके द्वारा दिये गये निचले विकल्प में उसका नामांकन नहीं हो सकता है। उदाहरण स्वरूप अगर आवेदक ने 11 विकल्प दिये हैं और

प्रथम चयन सूची में उसे तीसरी प्राथमिकता के विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन के लिए चुना गया है तो वह चौथी से लेकर 11वीं प्राथमिकता वाले विकल्प में नामांकन नहीं ले सकता है।

4.2 **नामांकन के लिए चुने जाने पर आवेदक को सूचना देने की प्रक्रिया–**

आवेदक अगर चाहे तो किसी विद्यालय/महाविद्यालय में अपने नामांकन के लिए चुने जाने से संबंधित पत्र (Intimation Letter) को OFSS (Online Facilitaiton System for Students) के वेबसाइट www.ofssbihar.in से डाउनलोड कर सकता है।

नामांकन के विभिन्न चरणों में चुने गये आवेदक को उनके चुने जाने से संबंधित सूचना विभिन्न माध्यमों से दी जायेगी। ये माध्यम निम्नलिखित हैं :

1. SMS
2. E-mail
3. वेबसाइट www.ofssbihar.in
4. उस विद्यालय/महाविद्यालय का सूचना पट्ट जिस विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन के लिए आवेदक को चुना गया है।

डाक के द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी जायेगी।

आवेदक को सलाह दी जाती है की नियमित रूप से अद्यतन सूचना के लिए वे वेबसाइट www.ofssbihar.in को देखते रहें।

5. चयन सूची में नाम आने के बाद आवेदक अपना नामांकन कैसे करायें ?

अगर आवेदक का नाम उसके द्वारा दिये गये प्राथमिकता वाले विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन के लिये चयन सूची में आ जाता है तो वह सम्बन्धित विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन ले सकता है। सम्बन्धित विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन के लिये उसे निम्न बातों का ध्यान रखना है :

a. आवेदक को सूचना पत्र (Intimation Letter) में उल्लेख किये गये निर्धारित तिथि और समय पर जाकर सम्बन्धित विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन कराना होगा।
b. आवेदक को सम्बन्धित विद्यालय/महाविद्यालय में जाँच के लिये मूल अभिलेखों को ले जाना होगा। उन्हें निर्धारित नामांकन शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क नगद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो सकता है, जो विद्यालय/महाविद्यालय के काउंटर पर जमा किये जा सकते हैं।
c. आवेदक को नामांकन के समय पासपोर्ट साईज के रंगीन फोटो एवं अन्य प्रमाण पत्र जमा करने होंगे।
d. आवेदक को यह सलाह दी जाती है कि वे नामांकन के सम्बन्ध में विद्यालय/महाविद्यालय से भी जानकारी प्राप्त करें।
e. अगर आवेदक उच्च प्राथमिकता वाले विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन कराने का इच्छुक है तो वह द्वितीय एवं तृतीय चयन सूची के जारी होने का इंतजार कर सकता है, परन्तु उसे उस विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन लेना ही होगा जिस विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन के लिए उसको चुना गया है।

5.1 **नामांकन के लिए जाँच सूची–**

- ❖ मूल प्रमाण पत्र
- ❖ कुल शुल्क
- ❖ पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो

निम्नलिखित मूल अभिलेख विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आवेदक को नहीं लौटाया जायेगा–

- उस विद्यालय का परित्याग प्रमाण पत्र जहाँ से उसने पिछली परीक्षा उतीर्ण की है।
- उस संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ से उसने पिछली परीक्षा उतीर्ण की है।

- माइग्रेशन प्रमाण पत्र (अगर कोई है) जहाँ से उसने पिछली परीक्षा उतीर्ण की है।

नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आवेदक को विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित मूल दस्तावेज वापस किये जाने हैं –

- 10वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्र और उसी परीक्षा का उतीर्णता प्रमाण पत्र।
- 10वीं बोर्ड परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र।
- आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।

उपर्युक्त अभिलेख के अलावा हो सकता है कि सम्बन्धित विद्यालय/महाविद्यालय नामांकन के लिए कुछ और अभिलेखों की माँग करें। आवेदकों को सलाह दी जाती है की नामांकन हेतु उपर्युक्त अभिलेखों के अलावा विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा मांग किये गये अभिलखों की जानकारी के लिये वे विद्यालय/महाविद्यालय से सम्पर्क करें।

6. **उच्च प्राथमिकता वाले विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन कैसे करायें ?**
(स्लाइड–अप विकल्प)

विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन के लिये अगर चयन सूची जारी हो जाती है और आवेदक नामांकन के लिये चुन लिया जाता है तो चुने हुये आवेदक को सम्बन्धित विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन कराना होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि नामांकन की तिथि और अन्य औपचारिकताओं के लिए उन्हें सम्बन्धित विद्यालय/महाविद्यालय से सम्पर्क करना चाहिये और नामांकन की प्रक्रिया से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिये। अगर चुने हुए आवेदक नामांकन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र में उनका नाम OFSS System से हटा दिया जायेगा और वर्तमान सत्र में आगे जो मेरिट लिस्ट जारी की जायेगी उसमें भी उनका नाम नहीं रहेगा।

अतः चुने हुये आवेदक के लिये आवश्यक है कि जिस विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन के लिये उनका नाम आ चुका है, तो वे उस विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन करा लें। ऐसा होने पर द्वितीय एवं तृतीय मेरिट लिस्ट जारी होने पर वे उस विद्यालय/महाविद्यालय में भी नामांकन ले सकेंगे जिसके लिये उन्होंने नामांकन हेतु उच्च प्राथमिकता दी है। अगर कोई आवेदक निचली प्राथमिकता वाले विकल्प के लिये चुना जाता है तो उसे उस विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन अवश्य करा लेना चाहिये, ताकि उसके मामले को चयन प्रक्रिया के दौरान स्लाइड–अप का उपयोग किया जा सके और उस पर विचार किया जा सके। अगर ऐसे आवेदक निचले विकल्प वाले विद्यालय/महाविद्यालय में चुने जाने पर नामांकन नहीं लेते हैं तो स्लाइडिंग अप के जरिये उनके मामले पर विचार नहीं किया जायेगा।

अगर आवेदक प्रथम चरण में निचली प्राथमिकता वाले विद्यालय/महाविद्यालय में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं है, और वह चाहता है की स्लाइडिंग अप प्रक्रिया के तहत उसे उच्च प्राथमिकता वाले विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन के लिये चुना जाय तो उसे दूसरे चरण में लॉग–इन कर वेबसाइट पर सुनिश्चित करना होगा, ताकि उसके मामले को अगामी नामांकन प्रक्रिया के दौरान उस पर विचार किया जा सके। यह प्रक्रिया स्लाइड अप विकल्प कही जाती है। ध्यान रखा जाय की स्लाइड अप विकल्प चुनने के लिये यह आवश्यक है की आवेदक को उस विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन लेना होगा जिस विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन के लिये उसका नाम मेरिट लिस्ट में आया है।

OFSS के माध्यम से ऑनलाइन सामान्य आवेदन प्रपत्र **(Common Application Form)** को ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया के 09 चरणों को पृष्ठ संख्या 14–19 पर देखें।

7. **OFSS** के माध्यम से ऑनलाईन सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) को ऑनलाईन भरने की प्रक्रिया के 9 चरण –

पहला चरण –किसी भी वेब ब्राउजर के द्वारा www.ofssbihar.in वेबसाइट पर जायें और ऑनलाईन CAF For Intermediate लिंक को क्लिक करें।

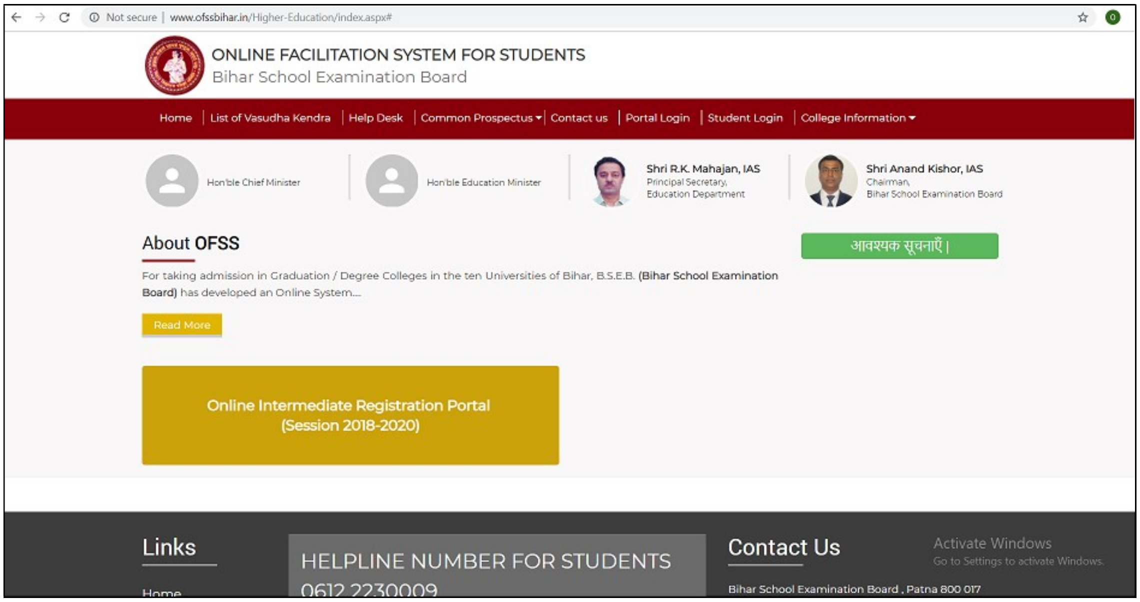

दूसरा चरण –चेक बॉक्स को क्लिक कर नियम एवं शर्तो को स्वीकार करें एवं "Click here to fill your application form" बटन को क्लिक करें।

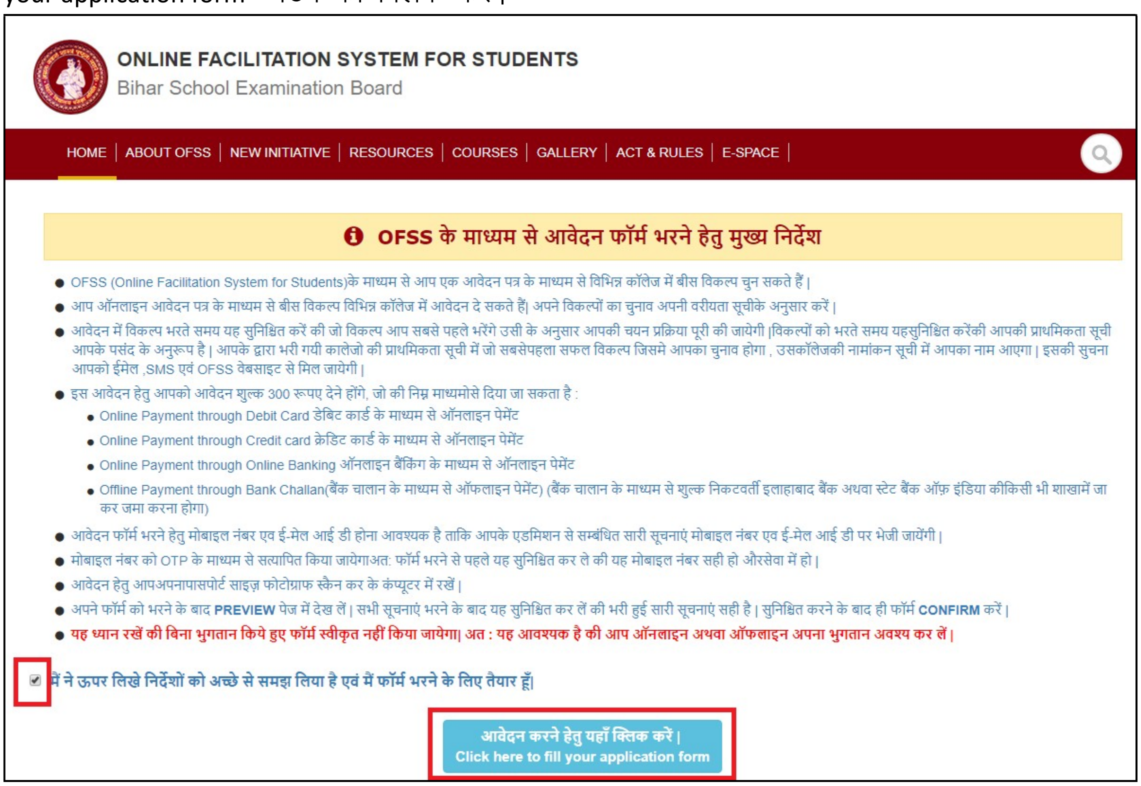

तीसरा चरण – अपने सभी जानकारी एवं प्राप्तांक तथा स्कैन फोटो को अपलोड करें।

Common Application Form
For Admission to Intermediate Courses Session 2019-21
Bihar School Examination Board, Government of Bihar

Intermediate
लाल रंग (*) से लिखे गयी सभी सूचनाएं भरनी अनिवार्य हैं, अन्यथा आपके फॉर्म ऑनलाइन जमा नहीं हो पायेगा।
All the Fields marked as red Colour (*) are Manadatory to be filled, otherwise your Online form will not be submitted.

1. Name of the Board from which you have passed the 10th exam ? Please fill the Year of Exam and Roll Number as in Admit Card. /
आपने किस शिक्षा बोर्ड से दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण की है ? एडमिट कार्ड के अनुरूप परीक्षा वर्ष एवं रोल नंबर भरें।

Name of the Examination Board * विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम *	Year of Passing * आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण की है। *	Exam Type * आपने कौन सी परीक्षा पास की है *
1 - BSEB, Bihar	--SELECT--	Annual / वार्षिक परीक्षा Improvement / पूरक परीक्षा
Date of Birth * / जन्म तिथि *	Roll Code * / रोल कोड *	Roll Number * / रोल नंबर *
DAY MONTH YEAR		

Upload your photo *

2. Applicant's Name * आवेदक का नाम *
3. Father's Name * आवेदक के पिता का नाम *
4. Mother's Name * आवेदक की माता का नाम *

(JPG, JPEG, PNG files only)

5. Details of Mark/Grade Secured in 10th Board Examination / बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक विषयवार नीचे लिखे। *
Note : In the Below field you need to Select Grade Points , if you select CBSE & Year as 2010 or later as Year Of Passing.
नोट : अगर आपने ऊपर CBSE एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष 2010 अथवा उसके बाद का चुना है तो यहाँ आपको ग्रेड पॉइंट्स चुनने होंगे।
यदि अपने विहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से दसवीं पास किये हैं तो यहाँ अपना प्राप्तांक भरें। विहार बोर्ड से पास विद्यार्थियों को अपने प्राप्तांक भरने की आवश्यकता नहीं है। रोल कोड, रोल नंबर एवं जन्म तिथि भरने के पश्चात स्वत : आपके प्राप्तांक भर जायेंगे।

a.

Maximum Mark अधिकतम अंक	Total Mark Secured कुल प्राप्तांक

Note : Selection of the students in the merit list will be based on the total marks obtained. Filling the marks details of all the individual subjects are not mandatory. In case the students doesn`t have the option to fill the marks of any specific subject , they are advised not to enter the marks of that subject in common application form. This will not impact their selection .
ध्यान दें : छात्रों का मेधा सूची में चयन कुल प्राप्तांक के आधार पर होता है। सभी विषयों के अंक फॉर्म में भरने आवश्यक नहीं है। अगर आवेदक किसी विशेष विषय के अंक फॉर्म में नहीं भर पा रहे हैं तो उस विषय का अंक फॉर्म में ना भरें। उस कारण से उनके चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

b. Have you passed 10th Board Exam Compartmentally?
क्या अपने दसवी की परीक्षा पूरक-परीक्षा अथवा समुन्नत परीक्षा में उतीर्ण की हैं ? No/ नहीं Yes/ हाँ

6. Record of educational institution last attended from which you have passed 10th Examination
आपने जिस स्कूल से दसवी की परीक्षा उतीर्ण की है उसकी विवरणी नीचे भरे।

a. Name of the School * विद्यालय का नाम *
b. Address of the School * विद्यालय का पता *
c. District * जिस जिले में आपका विद्यालय है * --SELECT--
d. Year of Joining * आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था। * YEAR
e. Year of Leaving from School* / आपने किस साल उस विद्यालय छोड़ेथे। * YEAR

चतुर्थ चरण –अपने पत्राचार का पता एवं आरक्षण का ब्योरा सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) में भरें।

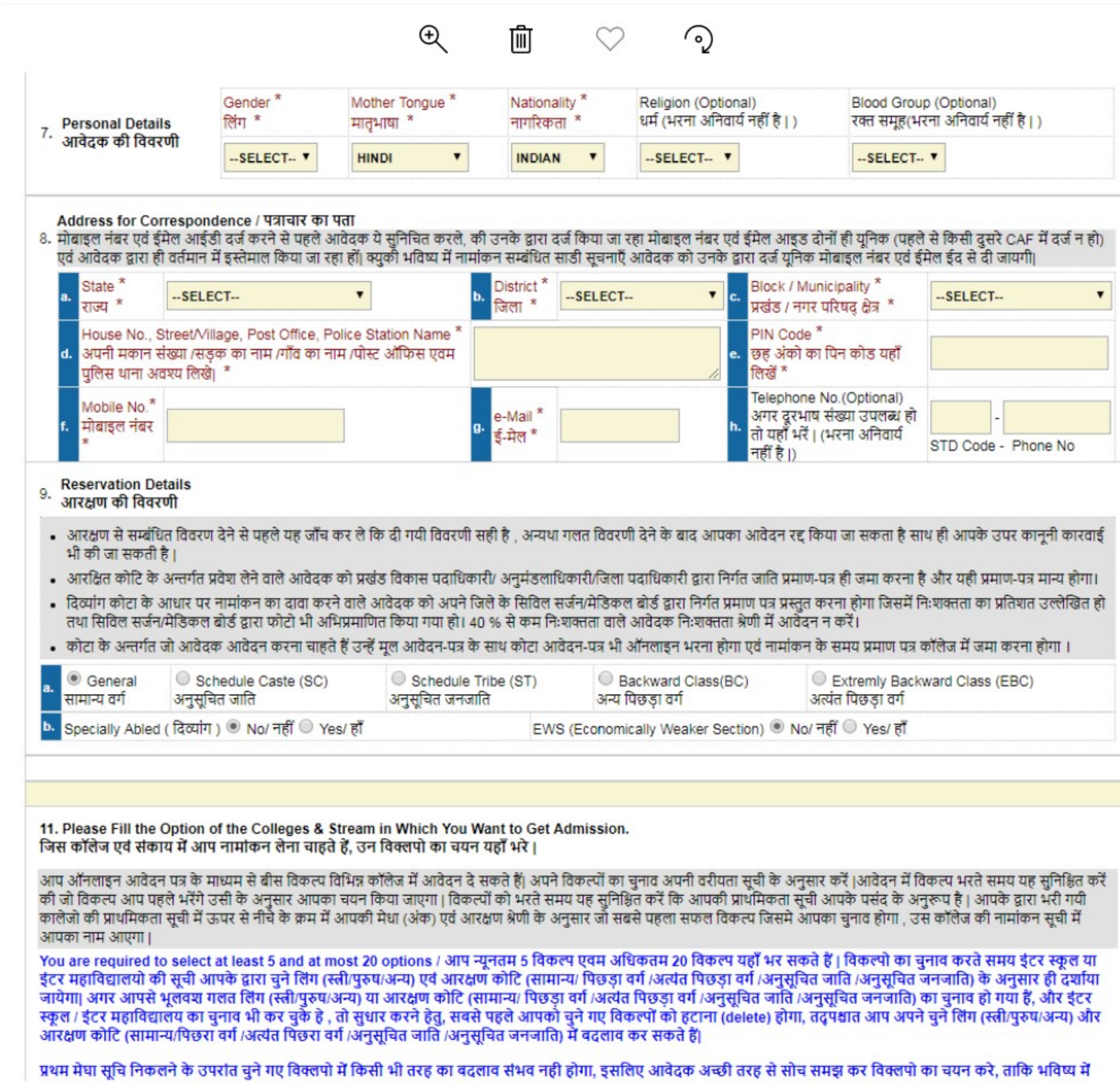

7. **Personal Details**
आवेदक की विवरणी

Gender * लिंग *	Mother Tongue * मातृभाषा *	Nationality * नागरिकता *	Religion (Optional) धर्म (भरना अनिवार्य नहीं है।)	Blood Group (Optional) रक्त समूह(भरना अनिवार्य नहीं है।)
--SELECT--	HINDI	INDIAN	--SELECT--	--SELECT--

Address for Correspondence / पत्राचार का पता

8. मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज करने से पहले आवेदक ये सुनिचित करले, की उनके द्वारा दर्ज किया जा रहा मोबाइल नंबर एवं ईमेल आइड दोनों ही यूनिक (पहले से किसी दुसरे CAF में दर्ज न हो) एवं आवेदक द्वारा ही वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा हों। क्युकी भविष्य में नामांकन सम्बंधित साडी सूचनाएँ आवेदक को उनके द्वारा दर्ज यूनिक मोबाइल नंबर एवं ईमेल ईद से दी जायगी।

a.	State * राज्य *	--SELECT--	b.	District * जिला *	--SELECT--	c.	Block / Municipality * प्रखंड / नगर परिषद् क्षेत्र *	--SELECT--
d.	House No., Street/Village, Post Office, Police Station Name * अपनी मकान संख्या /सड़क का नाम /गाँव का नाम /पोस्ट ऑफिस एवम पुलिस थाना अवश्य लिखे। *					e.	PIN Code * छह अंको का पिन कोड यहाँ लिखें *	
f.	Mobile No.* मोबाइल नंबर *		g.	e-Mail * ई-मेल *		h.	Telephone No.(Optional) अगर दूरभाष संख्या उपलब्ध हो तो यहाँ भरें। (भरना अनिवार्य नहीं है।)	- STD Code - Phone No

9. **Reservation Details**
आरक्षण की विवरणी

- आरक्षण से सम्बंधित विवरण देने से पहले यह जाँच कर ले कि दी गयी विवरणी सही है , अन्यथा गलत विवरणी देने के बाद आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है साथ ही आपके उपर कानूनी कारवाई भी की जा सकती है।
- आरक्षित कोटि के अन्तर्गत प्रवेश लेने वाले आवेदक को प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अनुमंडलाधिकारी/जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही जमा करना है और यही प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- दिव्यांग कोटा के आधार पर नामांकन का दावा करने वाले आवेदक को अपने जिले के सिविल सर्जन/मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें निःशक्तता का प्रतिशत उल्लेखित हो तथा सिविल सर्जन/मेडिकल बोर्ड द्वारा फोटो भी अभिप्रमाणित किया गया हो। 40 % से कम निःशक्तता वाले आवेदक निःशक्तता श्रेणी में आवेदन न करें।
- कोटा के अन्तर्गत जो आवेदक आवेदन करना चाहते हैं उन्हें मूल आवेदन-पत्र के साथ कोटा आवेदन-पत्र भी ऑनलाइन भरना होगा एवं नामांकन के समय प्रमाण पत्र कॉलेज में जमा करना होगा।

a.	◉ General सामान्य वर्ग	○ Schedule Caste (SC) अनुसूचित जाति	○ Schedule Tribe (ST) अनुसूचित जनजाति	○ Backward Class(BC) अन्य पिछड़ा वर्ग	○ Extremly Backward Class (EBC) अत्यंत पिछड़ा वर्ग
b.	Specially Abled (दिव्यांग) ◉ No/ नहीं ○ Yes/ हाँ			EWS (Economically Weaker Section) ◉ No/ नहीं ○ Yes/ हाँ	

11. Please Fill the Option of the Colleges & Stream in Which You Want to Get Admission.
जिस कॉलेज एवं संकाय में आप नामांकन लेना चाहते हैं, उन विक्लपो का चयन यहाँ भरे।

आप ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से बीस विकल्प विभिन्न कॉलेज में आवेदन दे सकते हैं। अपने विकल्पों का चुनाव अपनी वरीयता सूची के अनुसार करें।आवेदन में विकल्प भरते समय यह सुनिश्चित करें की जो विकल्प आप पहले भरेंगे उसी के अनुसार आपका चयन किया जाएगा। विकल्पों को भरते समय यह सुनिश्चित करें कि आपकी प्राथमिकता सूची आपके पसंद के अनुरूप है। आपके द्वारा भरी गयी कालेजो की प्राथमिकता सूची में ऊपर से नीचे के क्रम में आपकी मेधा (अंक) एवं आरक्षण श्रेणी के अनुसार जो सबसे पहला सफल विकल्प जिसमे आपका चुनाव होगा , उस कॉलेज की नामांकन सूची में आपका नाम आएगा।

You are required to select at least 5 and at most 20 options / आप न्यूनतम 5 विकल्प एवम अधिकतम 20 विकल्प यहाँ भर सकते हैं। विकल्पो का चुनाव करते समय इंटर स्कूल या इंटर महाविद्यालयो की सूची आपके द्वारा चुने लिंग (स्त्री/पुरुष/अन्य) एवं आरक्षण कोटि (सामान्य/ पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग /अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति) के अनुसार ही दर्शाया जायेगा। अगर आपसे भूलवश गलत लिंग (स्त्री/पुरुष/अन्य) या आरक्षण कोटि (सामान्य/ पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग /अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति) का चुनाव हो गया हैं, और इंटर स्कूल / इंटर महाविद्यालय का चुनाव भी कर चुके हे , तो सुधार करने हेतु, सबसे पहले आपको चुने गए विकल्पों को हटाना (delete) होगा, तद्पश्चात आप अपने चुने लिंग (स्त्री/पुरुष/अन्य) और आरक्षण कोटि (सामान्य/पिछरा वर्ग /अत्यंत पिछरा वर्ग /अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति) में बदलाव कर सकते हैं।

प्रथम मेघा सूचि निकलने के उपरांत चुने गए विक्लपो में किसी भी तरह का बदलाव संभव नही होगा, इसलिए आवेदक अच्छी तरह से सोच समझ कर विक्लपो का चयन करे, ताकि भविष्य में

पाचवाँ चरण –सभी विवरणी को भरने के पश्चात विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन हेतु अपनी प्राथमिकता/विकल्प भरें। आप न्यूनतम 05 विकल्प और अधिकतम 20 विकल्प चुन सकते हैं।

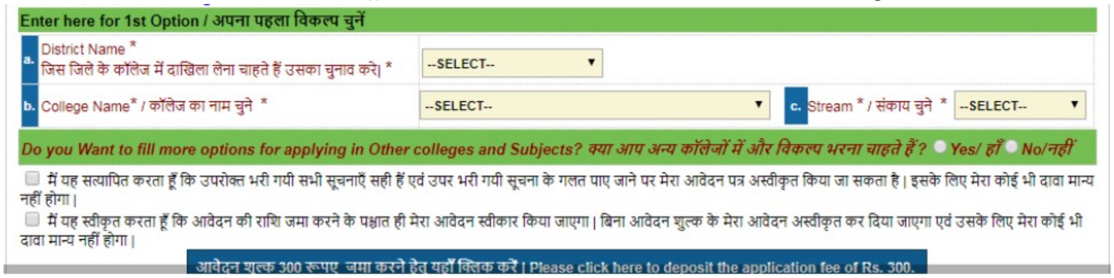

छठा चरण –सभी जानकारी भरने के पश्चात Submit बटन को दबायें। ऐसा करने पर आपके द्वारा भरे गये सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) का Preview दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा Preview में दिखाये गये विवरण सही हैं तो Confirm बटन क्लिक करें। Confirm बटन क्लिक करने के पश्चात मोबाइल नम्बर Confirmation पेज पर Re-direct हो जायेगा।

Common Application Form

For Admission to Intermediate Courses Session 2019-21

Bihar School Examination Board, Government of Bihar

Intermediate

लाल रंग (*) से लिखे गयी सभी सूचनाएं भरनी अनिवार्य हैं, अन्यथा आपके फॉर्म ऑनलाइन जमा नहीं हो पायेगा।
All the Fields marked as red Colour (*) are Manadatory to be filled, otherwise your Online form will not be submitted.

1. **Name of the Board from which you have passed the 10th exam ? Please fill the Year of Exam and Roll Number as in Admit Card. / आपने किस शिक्षा बोर्ड से दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण की है ? एडमिट कार्ड के अनुरूप परीक्षा वर्ष एवं रोल नंबर भरें।**

Name of the Examination Board * विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम *	Year of Passing * आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण की है। *	Exam Type * आपने कौन सी परीक्षा पास की है *
1 - BSEB, Bihar	2018	◉ Annual / वार्षिक परीक्षा ○ Improvement / पूरक परीक्षा
Date of Birth * / जन्म तिथि *	Roll Code * / रोल कोड *	Roll Number * / रोल नंबर *
10 / 09 / 1993	334422	3123556

Upload your photo *

2. Applicant's Name * आवेदक का नाम * — RITU KUMARI
3. Father's Name * आवेदक के पिता का नाम * — PRAVAS KUMAR
4. Mother's Name * आवेदक की माता का नाम * — RINA KUMARI

(JPG, JPEG, PNG files only)

5. **Details of Mark/Grade Secured in 10th Board Examination / बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक विषयवार नीचे लिखें। ***
Note : In the Below field you need to Select Grade Points , if you select CBSE & Year as 2010 or later as Year Of Passing.
नोट : अगर आपने ऊपर CBSE एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष 2010 अथवा उसके बाद का चुना है तो यहाँ आपको ग्रेड पॉईंट्स चुनने होंगे।
यदि अपने बिहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से दसवीं पास किये हैं तो यहाँ अपना प्राप्तांक भरें। बिहार बोर्ड से पास विद्यार्थियों को अपने प्राप्तांक भरने की आवश्यकता नहीं है। रोल कोड, रोल नंबर एवं जन्म तिथि भरने के पश्चात स्वतः आपके प्राप्तांक भर जायेंगे।

a.

Maximum Mark अधिकतम अंक	Total Mark Secured कुल प्राप्तांक

Note : Selection of the students in the merit list will be based on the total marks obtained. Filling the marks details of all the individual subjects are not mandatory. In case the students doesn't have the option to fill the marks of any specific subject , they are advised not to enter the marks of that subject in common application form. This will not impact their selection .
ध्यान दें : छात्रों का मेधा सूची में चयन कुल प्राप्तांक के आधार पर होता है। सभी विषयों के अंक फॉर्म में भरने आवश्यक नहीं है। अगर आवेदक किसी विशेष विषय के अंक फॉर्म में नहीं भर पा रहे हैं तो उस विषय का अंक फॉर्म में ना भरें। उस कारण से उनके चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

b. Have you passed 10th Board Exam Compartmentally?
क्या अपने दसवीं की परीक्षा पूरक-परीक्षा अथवा समुन्नत परीक्षा में उत्तीर्ण की हैं ? ◉ No/ नहीं ○ Yes/ हाँ

6. **Record of educational institution last attended from which you have passed 10th Examination आपने जिस स्कूल से दसवी की परीक्षा उतीर्ण की है उसकी विवरणी नीचे भरे।**

a. Name of the School * विद्यालय का नाम *	GOVT. HIGH SCHOOL KURTHA ARWAL, ARWAL-2501	b.	Address of the School * विद्यालय का पता *	ARWAL
c. District * जिस जिले में आपका विद्यालय है *	ARWAL	d.	Year of Joining * आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था। *	2015

e. Year of passing from School* / आपने किस साल विद्यालय से परीक्षा उतीर्ण की है। * 2018

सांतवाँ चरण –आपके निबन्धित मोबाइल नम्बर पर OTP (One Time Password) प्राप्त होगा। OTP (One Time Password) भरने के पश्चात Submit बटन क्लिक करें।

आठवाँ चरण –मोबाइल नम्बर सुनिश्चित करने के पश्चात आपको Payment पेज पर भुगतान के लिये Re direct किया जायेगा। भुगतान करने के विधि को चुन लें जैसे – वसुधा केन्द्र, Payment Gateway (Net Banking, Debit Card & Debit Card) इत्यादि।

नौवां चरण –भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात आपको Transaction ID प्राप्त होगा। और आपके द्वारा भरे गये आवेदन प्रपत्र की प्रति को प्रिंट करने का विकल्प प्राप्त होगा।

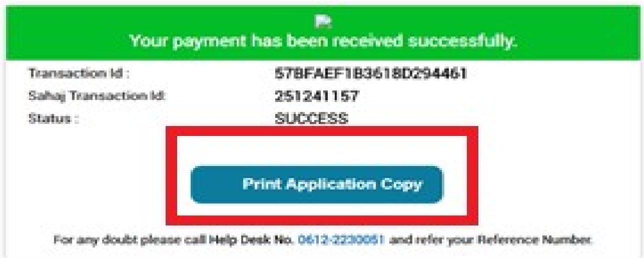

8. आरक्षण एवं कोटा

विधि विभाग की अधिसूचना एवं विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आरक्षण निम्नवत रहेंगे :–

Category	Reservation %
अनुसूचित जाति	16%
अनुसूचित जनजाति	1%
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	18%
पिछड़ा वर्ग	12%
पिछड़ा वर्ग की महिला	3%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लिए किये गये आरक्षण प्रावधानों से आच्छादित नहीं है।)	10%

इसके अतिरिक्त विकलांग कोटे की 5% सीट सम्बन्धित वर्ग में आरक्षित रहेगी।

9. महत्वपूर्ण टिप्पणी

9.1 (क) अगर कोई आवेदक किसी एक विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन लेने के पश्चात् ऐसे किसी विद्यालय/महाविद्यालय में स्थानान्तरण के तहत नामांकन लेना चाहता है तो स्थानान्तरित विद्यालय/महाविद्यालय में उसी कोटि में नामांकन होगा जिस कोटि का आवेदक होगा। स्थानान्तरित विद्यालय/महाविद्यालय में उस कोटि का स्थान रिक्त रहने पर ही वहाँ वह नामांकन ले सकेगा।

(ख) एक से ज्यादा आवेदन देने वाले आवेदक का सिर्फ एक ही आवेदन स्वीकृत किया जायेगा। अन्य आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(ग) सिर्फ कम्प्यूटर से जारी ऑनलाइन सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) स्वीकार किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में टंकित या छपा हुआ सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(घ) निबंधित डाक अथवा अन्य माध्यम से भेजे गये कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ड.) विद्यार्थी को SMS/E-mail के माध्यम से उनके नामांकन अद्यतन/नामांकन निरस्त/नामांकन रद्द की सूचना दी जायेगी लेकिन यह विद्यार्थी की भी जिम्मेदारी होगी कि अपना नामांकन स्थिति स्वयं विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त कर लें।

10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Ask Questions)

(क) **प्रश्न**–किन तरीकों से मैं सामान्य आवेदन पत्र (Common Application Form) भर सकता हूँ?

उत्तर– आवेदक केवल ऑनलाइन विधि से हमारे पंजीकृत वेब पोर्टल www.ofssbihar.in के माध्यम से सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भर सकते हैं। वे सहज वसुधा केन्द्र/साइबर कैफे/जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र जाकर आवेदन दे सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में Offline विधि से सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) नहीं भरा जाना है।

(ख) **प्रश्न**–कहाँ से मैं सामान्य आवेदन पत्र भर सकता हूँ?

उत्तर–आप निम्नलिखित जगहों से सामान्य आवेदन पत्र (Common Application Form) भर सकते हैं–

- आप अपने घर के कम्प्यूटर से भी आवेदन भर सकते हैं।
- आपकिसी साइबर कैफे के माध्यम से भी आवेदन भर सकते हैं।
- आप किसी वसुधा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन भर सकते हैं।
- आप जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) जाकर भी आवेदन भर सकते हैं। प्रत्येक जिलें में एक जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) है।

(ग) **प्रश्न**–सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भरने के लिए प्रमुख आवश्यकताएं क्या हैं?

उत्तर – जहाँ से आपने पिछली बोर्ड परीक्षा उतीर्ण की है यह उस पर निर्भर करता है।

- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के मामले में – यदि आपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से पिछली बोर्ड परीक्षा उतीर्ण की है तो नीचे लिखे मूल सूचनाओं की जानकारी भरें–
- उत्तीर्ण होने का वर्ष
- रौल कोड
- रौल नम्बर
- जन्म तिथि
- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के अलावा अन्य मामले में – यदि आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के अलावा अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण हुए हैं तो आपको सभी सम्बन्धित सूचनाऍ देनी होगी।

(घ) **प्रश्न**–सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भरने के लिए मुझे वैध मोबाइल नंबर और ई–मेल पता क्यों रखना होगा?

उत्तर – ऑनलाइन सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भरने के दौरान, आपको वैध और मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी का उपयोग करना होगा। फिर हमारी स्वचालित प्रणाली आपके पंजीकृत ई–मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर प्रवेश प्रक्रियाओं के बारे में सूचनायें भेजेगी।

(ङ.) **प्रश्न**– मैं एक से अधिक विद्यालय/महाविद्यालय के लिए सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) कैसे भर सकता हूँ?

उत्तर –OFSS (Online Facilitation System for Students) के माध्यम से, आप न्यूनतम पांच विद्यालय/महाविद्यालय और अधिकतम 20 विद्यालय/महाविद्यालय का चयन कर सकते हैं। कहने का तात्यर्प्य यह है कि आप एक ही आवेदन में प्राथमिकता के आधार पर नामांकन के लिये 20 विद्यालयों/महाविद्यालयों का नाम दे सकते हैं।

(च) **प्रश्न**–एक विद्यालय/महाविद्यालय का चयन करने के लिए शुल्क और एक से अधिक विद्यालय/महाविद्यालय चुनने के मामले में क्या शुल्क है?

उत्तर–OFSS (Online Facilitation System for Students) के माध्यम से नामांकन के लिये आवेदन देने हेतु आपको सिर्फ रू0 300/– का भुगतान करना होगा। इस शुल्क से ज्यादा आपको और किसी अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करना है। यह शुल्क एक महाविद्यालय के चयन के मामले में या 20 महाविद्यालयों के चयन के मामलें में समान है। जब आप एक से अधिक महाविद्यालय या 20 महाविद्यालयों का चयन करेंगे, तो आपको रू0 300/– के अतिरिक्त किसी अन्य शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

(छ) **प्रश्न**–विभिन्न संकायों/कोर्स के लिए 20 विद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए मैं सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) कैसे भर सकता हूँ ?

उत्तर–OFSS (Online Facilitation System for Students) पद्धति में सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भरने के लिए 20 विद्यालयों/महाविद्यालयों को चुनने का विकल्प आपके पास है। ये सभी विकल्प 20 विद्यालयों/महाविद्यालयों में 20 विषयों में हो सकता है।

(ज) **प्रश्न**–मान लीजिए, मैंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना वेबसाइट पर डाले गये सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) में 20 विकल्पों को दिया है और मुझे अपने 11 वें नंबर के चुने हुए विकल्प में मौका मिला है। लेकिन मैं सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भरने के समय मेरे द्वारा भरे गए शीर्ष 3 विकल्प में अपना नाम प्राप्त करने के लिए तीसरी मेरिट सूची तक इंतजार करना चाहता हूं। तो, क्या मुझे मेरे द्वारा चुने गए 11वें रैंक विकल्प में प्रवेश किए बिना तीसरी मेरिट सूची तक इंतजार करना चाहिए?

उत्तर– नहीं, आपको अपने 11वें विकल्प वाले महाविद्यालय में प्रवेश लेना हीं होगा। इसके बाद दूसरी या तीसरी मेरिट लिस्ट की प्रतिक्षा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया स्वचालित रूप से कार्य करेगी और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको स्लाइड अप विकल्प को चुनना होगा। स्लाइड अप विकल्प उसी स्थिति में आयेगा, जब आपने किसी महाविद्यालय में नामांकन ले लिया है।

(झ) **प्रश्न**–बेहतर मनपसंद विद्यालय/महाविद्यालय में Online Facilitation System की प्रक्रिया के तहत मैं नामांकन कैसे ले सकता हूँ?

उत्तर– हमारी ऑनलाइन सुविधा प्रणाली के माध्यम से विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन के क्रम में तीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती है–

1) **स्थिति एक** – मान लीजिए आपने 20 विकल्प चुना है और पहली मेरिट सूची के अनुसार आपको 11वें विकल्प वाले विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन कराने की सूचना मिली है तो क्या आपको अपने चुने हुए 1 से 10 तक के विद्यालयों/महाविद्यालयों के विकल्प में नामांकन की सुविधा मिलेगी।

उत्तर – हाँ, आपके सर्वोत्तम पसंदीदा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने की संभावना है। अगर आपका नामांकन पहले मेरिट लिस्ट के अनुसार हो जाता है, तो आप दूसरे और तीसरे मेरिट लिस्ट के प्रकाशन की प्रतीक्षा करें। यदि दूसरे और तीसरे मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो फिर योग्यता सूची के अनुसार प्रवेश मिलेगा और दूसरी और तीसरी योग्यता सूची घोषणा के लिए प्रतीक्षा करें, यदि दूसरी और तीसरी योग्यता सूची में आपका नाम घोषित किया जाता है, फिर स्वचालित रूप से आपको बिना किसी अतिरिक्त प्रयास किए या किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान किए बिना अपने सर्वश्रेष्ठ पसंदीदा संस्थान में प्रवेश मिलेगा।

नोट –आपके द्वारा चुने हुए वरीयता क्रम के अनुसार एक संस्थान से दूसरे संस्थान में दूसरे या तीसरे मेरिट लिस्ट के अनुसार नामांकन लेने की सुविधा होगी। इस प्रक्रिया को ऑटो स्लाइडर कहा जाता है। ऑटो स्लाइडर सुविधा को सक्रीय करने के लिए यह आवश्यक होगा कि आप उस संस्थान में नामांकन अवश्य ले लें जहाँ नामांकन के लिए पहले चरण के नामांकन में आपका नाम आया है।

2) **स्थिति दो**– मैंने कुल 10 विकल्प चुने हैं, लेकिन मेरा नाम किसी भी कॉलेज में घोषित नहीं किया गया है। क्या मैं किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाऊंगा?

उत्तर – यदि आपका नाम किसी भी चुने हुए कॉलेज में घोषित नहीं किया गया है, तो आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक तीसरी चयन सूची के आधार पर नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। अगर किसी संस्थान में तीसरी योग्यता सूची जारी करने के बाद कुछ सीट खाली हैं, तो आपके चुने हुए संस्थान और Cut Off Marks के अनुसार, यहां आपके लिए एक मौका होगा। तीसरी और अंतिम चयन सूची के आधार पर नामांकन के पश्चात् रिक्त सीटों के लिए Spot Admission की प्रक्रिया की जायेगी। यदि तीसरे मेरिट सूची की घोषणा के बाद कोई रिक्त सीट उपलब्ध नहीं है, तो किसी भी चुने हुए संस्थान में आपके लिए प्रवेश पाने की संभावना नहीं होगी।

3) **स्थिति तीन**– मान लीजिए, मैंने अपने 20 विकल्प के साथ सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भर दिया है, लेकिन कुछ दिन बाद, मुझे एहसास हुआ कि मेरा चयन गलत था या मैं अपने 20 चयनों से संतुष्ट नहीं हूं, मैं फिर से कैसे चुन सकता हूं 20 विकल्प या मैं अपने चयन में बदलाव कैसे कर सकता हूँ?

उत्तर – सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भरने की अपनी अंतिम तिथि तक जमा किए गए आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। इस अंतिम तिथि के बाद, आप कोई भी परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होंगे।

(ञ) **प्रश्न**–चयनित संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने के लिए मेरा नाम सिस्टम द्वारा सूचित किया जाता है, इसके लिए प्रक्रिया क्या है?

उत्तर– यदि आपका नाम पहली मेरिट सूची में चुना गया है, तो आप संस्थान में जा सकते हैं और प्रवेश ले सकते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज और तस्वीरें जमा कर सकते हैं।

नोट – सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) और दस्तावेजों की आवश्यकताओं पर अधिक पूछताछ के लिए सीधे चयनित संस्थान में जा सकते हैं।

(त)प्रश्न– मैंने सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भर दिया है और अपने ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से शुल्क भी चुकाया है, लेकिन फिर भी मुझे अपने मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी पर ई–मेल या एसएमएस से कोई सूचना नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना होगा ?

उत्तर – कुल मिलाकर नामांकन की सूचना प्राप्त करने के लिए आपको सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भरने के दौरान एक वैध और मौजूदा उपयोग वाला मोबाइल नंबर और ई–मेल पता देना होगा।कभी–कभी ई–मेल आपके द्वारा पंजीकृत ई–मेल आईडी के SPAM बॉक्स में जाता है, इसलिए कृपया एक बार अपना SPAM फोल्डर भी देखें। सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) के जमा होने और अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद भरे हुए जानकारी को बदलने के लिए आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए, कृपया सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भरने के दौरान पूरी सावधानी बरतें।

(थ)प्रश्न–एक ही मोबाइल नंबर या एक ही ई–मेल आईडी के माध्यम से कितने सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) को भरा जा सकता है और क्या दोनों समान हैं?

उत्तर– सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भरने के लिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे यूनिक Unique और वैध मोबाइल नम्बर के साथ आवेदन करें।

- एक मोबाइल नंबर/एक E-mail Id से मात्र एक आवेदन प्रपत्र भरा जा सकता है।

(द) प्रश्न–मेरे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन नेट बैंकिंग सुविधायें नहीं है तो, मैं भुगतान कैसे करूगाँ ?

उत्तर – भुगतान के लिए आपके पास तीन विकल्प है–

1) ई–चालान सुविधा (मैनुअल विकल्प) का उपयोग करना–आवेदन भरने के बाद आप भुगतान विकल्प (Payment Option) पर जायें। वहाँ आपको ई–चालान विकल्प मिलेगा। इसके उपरांत आपको ई–चालान डाउनलोड करना होगा और इसे निकटतम बैंक में जमा करना होगा। ई–चालान जमा करने के लिए बैंक द्वारा रू0 300/– के अलावा कुछ और राशि भी ली जायेगी।

2) यदि आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कोई अन्य नेट बेकिंग सुविधा की कोई सुविधा नहीं है, तो आप अपने माता–पिता, दोस्तों या किसी ज्ञात सेवा प्रदाता से सहायता ले सकते हैं। वे अपना डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग द्वारा भुगतान अपनी ओर से करेंगे।

3) वसुधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन पत्र भरने के लिए आप वसुधा केन्द्र पर जा सकते हैं और वहाँ नगद भुगतान कर सकते हैं।

(ध) **प्रश्न**–क्या मुझे अपने दस्तावेजों की किसी भी हार्ड कॉपी को महाविद्यालय या किसी कार्यालय में जमा करने की जरूरत है?

उत्तर – ऑनलाईन सुविधा प्रणाली पूरी तरह से ऑनलाईन प्रणाली है और आपको किसी भी दस्तावेज को किसी भी स्थान पर जमा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप भविष्य के लिए अपने जमा किए गए आवेदन की प्रिंट आउट प्रतिलिपि रख सकते हैं। आपको केवल चयनित कॉलेज मे नामांकन के समय हार्ड कॉपी की आवश्यकता होगी।

--------------------- * ---------------------